

संख्या-384976/67-कशिअ-19-1008(002)/2019

प्रेषिक,

मासूम अली सरवर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
अयोध्या/कानपुर/मेरठ/बांदा।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग

लखनऊ : दिनांक 5 मार्च 2020

विषय- राज्य सरकार के अधीन विश्वविद्यालयों की लेखा परीक्षा के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (लेखा-परीक्षा) अनुभाग-2, के शासनादेश सं0-2/2019/आडिट-2-1053/दस-2019-355(5)2018 दिनांक 01.10.2019 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों की लेखा परीक्षा हेतु वित्त (लेखा-परीक्षा) अनुभाग-2 के उक्त शासनादेश दिनांक 01.10.2019 में दिये गये निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

(मासूम अली सरवर)
विशेष सचिव।

संख्या-384976(1)/67-कशिअ-19-तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार, 30 प्र0, प्रयागराज।
2. कुलसचिव, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या/कानपुर/मेरठ/बांदा।
3. वित्त नियंत्रक, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या/कानपुर/मेरठ/बांदा।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30 प्र0 प्रयागराज।
5. वित्त (लेखा-परीक्षा) अनुभाग-2 ।
6. गार्ड फाइल।

आजा से,



A.O (T)

30
7/3/2020
AVADH NARAYAN
Comptroller

श्री सुरेश
नय
11/3/20
अजय कुमार तिवारी
लेखाधिकारी

05-11-18
(मासूम अली सरवर)
लिपिक मयिया

श्रेयस,

संजीव विद्याल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा/औद्योगिक विकास/कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान/प्राविधिक
शिक्षा/पशुधन/दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग, उ०प्र०शासन।

विस्त (लेखा-परीक्षा) अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 01 अक्टूबर, 2019

विषय:- राज्य सरकार के अधीन विश्वविद्यालयों की लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में।

महोदय,

द कम्प्यूटर एण्ड ऑडिटर जनरल (ड्यूटीज पायर्स एण्ड कम्प्लीशन्स आफ सर्विस) एक्ट-1971 (यथा संशोधित) की धारा-20 के प्राविधानों के अनुपालन में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के अधीन निम्नलिखित विश्वविद्यालयों की लेखा परीक्षा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्पादित कराये जाने का निर्णय लिया गया है:-

क्र०	विभाग	विश्वविद्यालय का नाम
1	2	3
1	उच्च शिक्षा	डॉ० वी०आर० अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
2	उच्च शिक्षा	डी० दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
3	उच्च शिक्षा	डॉ० राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4	उच्च शिक्षा	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5	उच्च शिक्षा	चैधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
6	उच्च शिक्षा	उ०प्र० राजर्षि टन्डन ओपेन विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
7	उच्च शिक्षा	प्रो० राजेन्द्र सिंह (रजू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
8	उच्च शिक्षा	सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ नगर।
9	उच्च शिक्षा	महात्मा गांधी काशी विधापीठ, वाराणसी।
10	उच्च शिक्षा	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।
11	उच्च शिक्षा	जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
12	उच्च शिक्षा	ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ।
13	उच्च शिक्षा	बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी।
14	औद्योगिक विकास	गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोयडा, गौतमबुद्ध नगर।
15	कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान	नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, अयोध्या।
16	कृषि शिक्षा एवं	चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फानपुर।



Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)

17	अनुसंधान कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान	सरदार बल्लभ माई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदी पुरम मेरठा
18	कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान	बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बाँदा।
19	प्राविधिक शिक्षा	मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
20	प्राविधिक शिक्षा	हरकोट बटलर प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
21	प्राविधिक शिक्षा	डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
22	पशुधन	पं० वीनव्याल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा।
23	दिव्यांगजन सशक्तिकरण	डा० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

2- उक्त के फलस्वरूप उपर्युक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित विश्वविद्यालयों की लेखा परीक्षा अब निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा नहीं की जायेगी।

3- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विश्वविद्यालयों की नियमावली में लेखा परीक्षा सम्बन्धी प्राविधानों में आप द्वारा यथावश्यक संशोधन कराया जाये तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालयों को यह भी निर्देशित किया जाये कि उनके द्वारा अपनी आन्तरिक लेखा परीक्षा नियमित रूप से सम्पादित की जाये।

भवदीय

संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-2/2019/आडिट-2-1053(1)/एस-2019-355(5)/2018, तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) प्रधान महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज।
- (2) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (3) कुल सचिव, संबंधित विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- (4) गार्ड फाइल।



Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)

आज्ञा से

हरिश्चन्द्र
संयुक्त सचिव।